विषय: - झारखण्ड विधानसभा,राँची के विधायी शोध संदर्भ एवं प्रशिक्षण कोषांग के द्वारा आयोजित "द्वितीय झारखण्ड छात्र संसद" कार्यक्रम हेतु नोडल अधिकारी तथा विद्यार्थियों को मनोनीत करने के संबंध में।

प्रसंग: - झारखण्ड विधानसभा सचिवालय का पत्रांक 2458/ वि०स० दिनांक- 15.10.2022.
तथा उच्च शिक्षा निदेशालय पत्रांक संख्या 1734(अनु०) दिनांक 20.10.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा नामित नोडल अधिकारी का नाम आपके सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है -

नाम- डॉ अरविंद कुमार सिंह
पदनाम - सहायक प्राध्यापक, टाटा कॉलेज ,चाईबासा
मोबाइल नं० - 9576138360
ई-मेल - aksingh0575@gmail.com

उक्त छात्र संसद हेतु तीन चरणों में चयन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। चयन की प्रक्रिया एवं शर्त्ते निम्नवत है :-

01- प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा एक नोडल को नामित करते हुए उनके पूर्ण विवरणी नाम, पदनाम, मोबाईल नं० एवं ईमेल के साथ सूचना विधान सभा को दिनांक-04.11.2022 के अन्दर दी जाय।

02- प्रत्येक विश्वविद्यालय से दो- दो छात्रों का मनोनयन राज्यस्तरीय स्पर्धा हेतु किया जाय, परन्तु राँची विश्वविद्यालय, राँची/सिद्धु-कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका/विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग/नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय,

क्र०पृ०उ०

CS CamScanner

मेदिनीनगर/कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा/विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद द्वारा दो से ज्यादा छात्रों का मनोनयन इस प्रकार किया जाय कि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आनेवाले प्रत्येक जिले का प्रतिनिधित्व संभव हो सके। संबंधित सूचनाएँ (यथा-छात्रों का नाम, कॉलेज का नाम, संकाय, जन्म तिथि) संलग्न प्रपत्र में दिनांक-04.11.2022 तक भेज दी जाय।

03- मनोनीत छात्रों द्वारा लिखित निम्नांकित विषय पर विषयों में से किसी एक विषय पर न्युनतम 500 शब्द में तथा अधिकतम 700 शब्दों का आलेख संलग्न विषय पर ईमेल- jvs.lrtc@gmail.com पर उनके मनोनयन के साथ निर्धारित तिथि 04.11.2022 तक भेजी जाय :-

(I) **शहरी जनसंख्या विस्फोट के परिप्रेक्ष्य में नगरीय नियोजन**
Town Planning in the context of urban population explosion.

(II) **पर्यावरण संरक्षण बनाम विकास की अवधारणा**
Environment Conservation versus Growth Paradigm.

(III) **सड़क के उपयोग का अधिकार,-पैदल यात्रियों एवं साईकिल सवारों के लिए सड़क सुरक्षा**
Right of use of road safety for Pedestrian and Cyclist.

(IV) **वनों की कटाई एवं सड़क निर्माण**
Deforestation and road construction.

(V) **सड़क सुरक्षा एवं कानूनी आयाम**
Road safety and legal framework.

(VI) **यातायात से प्रदूषण का समाधान सार्वजनिक यातायात के साधनों के विकास से संभव है।**
Pollution from transport may be controlled by developing public transportation system.

04- विश्वविद्यालय द्वारा नामित छात्रों के वेबीनार के माध्यम से सभा सचिवालय के विशेषज्ञों द्वारा विधायी प्रक्रिया के संबंध में दिनांक-09.11.2022 को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस वेबीनार में जुड़ने के लिए छात्र अपना ईमेल आई०डी०/मोबाईल नम्बर नोडल पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे।

05- विश्वविद्यालय द्वारा नामित छात्र सभा सचिवालय द्वारा चयनित विशेषज्ञ पैनल के समक्ष उपर्युक्त विषय में से चयनित किसी एक विषय पर गुगल मीट के माध्यम से प्रस्तुती देगें एवं विशेषज्ञ पैनल उनमें से 24 छात्रों का चयन कर उन्हें अंतिम चरण के लिए नामित करेगा।

06- अंतिम 24 छात्रों में से 13 पक्ष एवं 11 विपक्ष के लिए चयनित किये जायेंगे। दूसरे चरण में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को सदन नेता एवं दूसरे स्थान पर आनेवाले छात्र को नेता प्रतिपक्ष का दायित्व सौपा जाएगा।

क्र०पृ०उ०

07- झारखण्ड छात्र संसद के आयोजन की प्रक्रिया ऑफ लाईन होगी एवं स्थल का निर्धारण झारखण्ड विधान सभा, राँची के द्वारा किया जा सकेगा। झारखण्ड विधान सभा सभागार को प्राथमिकता दी जाएगी।

08- राँची में आयोजित किये जाने वाले झारखण्ड छात्र संसद के दौरान जिन छात्रों को आमंत्रित किया जाएगा, उनके आवासन भोजन की व्यवस्था झारखण्ड विधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा प्रति छात्र 2000/-रू0 समेकित व्यय के रूप में कार्यक्रम के समापन के साथ ही तत्काल प्राप्त करा दिया जाएगा। अन्य किसी प्रकार के भुगतान का दावा अनुमान्य नहीं होगा।

09- झारखण्ड छात्र संसद का कार्यक्रम द्विदिवसीय होगा। प्रथम दिन समस्त प्रक्रियाओं से अवगत कराया जाएगा और दूसरे दिन छात्र संसद आयोजित की जाएगी।

10- झारखण्ड छात्र संसद में भाग लेने वाले सभी 24 छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह् प्रदान किया जाएगा।

11- विश्वविद्यालय द्वारा मनोनीत किये गये छात्रों के आलेख एवं विडियो कांफ्रेंसिंग के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग करने का सर्वाधिकार झारखण्ड विधान सभा के विशेषज्ञ समूह में निहित होगा।

12- झारखण्ड छात्र संसद हेतु विशेषज्ञ समूहों में झारखण्ड विधान सभा के वरिष्ठ माननीय सदस्य, राष्ट्रीय/राज्यस्तर के संवैधानिक/संसदीय विषयों के विशेषज्ञ सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक/राज्य सरकार/झारखण्ड विधान सभा के वरिष्ठ पदाधिकारी होंगे।

13- झारखण्ड के विश्वविद्यालय महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों का ही मनोनयन मान्य होंगे।

14- प्रथम झारखण्ड छात्र संसद कार्यक्रम, 2021 में अन्तिम रूप से चयनित 24 छात्रों का विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय द्वारा पुनः मनोनीत नहीं किया जायेगा।

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

प्रपत्र

फोटो

1. नाम :..
2. पिता का नाम :..
3. जन्म तिथि :..
4. विश्वविद्यालय का नाम :..
5. महाविद्यालय का नाम :..
6. संकाय :..
7. सत्र :..
8. मोबाईल नं0(वाट्सएप नं0):..
9. ई-मेल आई0डी0 :..
10. पत्राचार का पता :..

....

....

11. स्थायी पता :..

....

....

नोडल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा का हस्ताक्षर